

प्रारूप-2

कार्यालय जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

आदेश सं०/वै०सहा०/मान्यता/ENPS-५४५/१९/2019-20 दिनांक: 31.05.2019

सेवा में,

प्रबंधक,

आर०एस०डी० एकेडमी (पब्लिक स्कूल), (R.S.D.Academy public school) (अंग्रेजी माध्यम)

रामगंगा विहार फैस-2, नगरक्षेत्र-मुरादाबाद।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के संदर्भ में आर०एस०डी० एकेडमी (पब्लिक स्कूल) रामगंगा विहार फैस-2, नगर-मुरादाबाद को कक्षा नं०८ से कक्षा ०८ तक हेतु दिनांक 31.05.2019 से दिनांक 29.05.2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपचार्यित मान्यता का प्रदान किया जाना सम्भेषित करता है :

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा ८ के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-दो) के उपवन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय वंशों एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अत्रितर यह कि पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर-तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलंग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अंथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा—
  - (क) बालक का आयु-प्रमाण पत्र न होने पर,
  - (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :
  - (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
  - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,
  - (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
  - (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-पत्र वितरित किया जायेगा,
  - (पंच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तिग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
  - (छ: ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और
  - (सात) अध्यापक व्यवित्क अध्यापन क्रियाकलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चाएँ के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

:—8093.71 वर्गमीटर

—२८५८

For R.S.D. Educational & Charitable Society

Manager Cum Secretary

*Mehdi*  
PRINCIPAL  
R.S.D. ACADEMY  
(PUBLIC SCHOOL)  
MORADABAD

- |   |                 |
|---|-----------------|
| कुल निर्मित क्षेत्र   | :—5170 वर्गमीटर |
| कीड़ारथाल का क्षेत्रफल  | :—पर्याप्त      |
| कक्षाओं की संख्या   | :—26            |
| प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डारगार के लिए कक्ष<br>ज्ञालक, और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय   | :—04            |
| पेयजल सुविधा  | :—06            |
| मिड डे भील पकाने के लिए रसोईघर  | :—उपलब्ध        |
| बाधारहित पहुँच  | :—उपलब्ध        |
| अध्यापन पठन—पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद/<br>उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता  | :—जी हैं        |
| 10. विद्यालय परिसर के अन्दर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।  | :—जी हैं        |
| 11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित्त किसी विधि के अधीन गठित किसी राजनीक चारस द्वारा संचालित किया जाता है।  |                 |
| 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यष्टि संगत या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।   |                 |
| 13. लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित को प्रेषित की जानी चाहिए।  |                 |
| 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड रांख्या E.N.U.P.S.-5851.2019 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।  |                 |
| 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायं और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता लिए जारी किये जायें।                        |                 |
| 16. समिति के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।  |                 |
| 17. विद्यालय प्रबंधन/चास और कर्मचारी वर्ग समय—समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।  |                 |
| 18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।<br>कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी का वाद—विवाद योजित नहीं किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार |                 |

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मुरादाबाद।

/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उम्प्रो प्रयागराज।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मुरादाबाद।

*M. N. W.*  
PRINCIPAL  
R.S.D. ACADEMY  
(PUBLIC SCHOOL)  
MORADABAD

For R.S.D. Educational & Charitable Society

  
Manager Cum Secretary